2022/67 कन्हैया बनाम अनोखी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.। वादी अधि द्वारा वादी सं. 1 की मृत्यु होने की सूचना दिनांक 23/12/24 को देने के उपरान्त कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। अंतिम अवसर दिया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. दिनांक 21/11/24 को पेश होने के उपरान्त से जवाब पेश नहीं किया गया है। अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते कायम मुकाम एवं जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 23/5/25 को पेश हो।

3/5/25

23/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप.। वादी सं-1 के कायम मुकाम हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दीवानी का जवाब पेश नहीं। पत्रावली वास्ते कायम मुकाम प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के जवाब हेतु दिनांक 07/5/25 को पेश हो।

23/5/25

07/5/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान अधि. उप.। वादी द्वारा वादी सं. 1 की मृत्यु की सूचना दिनांक 23/12/24 को प्राप्त होने के उपरान्त भी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने से एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी पालना नहीं किये जाने से वादी सं. 1 की हद तक दावा अबेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी का जवाब देने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं, आगामी पेशी पर जवाब पेश नहीं करने पर जवाब लिख: बंद समझा जायेगा तथा पत्रावली प्रार्थना पत्र की बहस हेतु नियत कर दी जावेगी। पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी के जवाब/बहस हेतु दिनांक 12/5/25 को पेश हो।

07/5/25

12/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता अनु.। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उप.। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को न्यायालय में पुनः एक बार आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी द्वारा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. ..................................

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 12/3/25 | प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी का जवाब पर्याप्त अवसर देने के बाद भी पेश नहीं किया गया और ना ही वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में बहस की गई। वादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दीवानी पर एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी अधि. द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी न. 515/266 रकबा 0.2529 है. भूमि प्रतिवादीगण एवं श्रीमती अणची देवी पुत्री जयराम गुर्जर की सहखातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसकी किस्म बारानी III दर्ज रिकार्ड है, वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को गै.मु. रास्ता होना वादपत्र में अंकित किया गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड इसकी ताईद नहीं करता है। वादीगण के ~~प्रतिवादी~~ प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की आज्ञापक निषेधाज्ञा/स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि को रास्ते हेतु उपयोग में आना बताया गया है, यदि वादीगण इस हेतु किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'ए' में विशिष्टीकृत प्रावधान है। वादीगण इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में वर्णित उपखण्ड अधिकारी अथवा सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा पेश करने हेतु सक्षम है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित अनुतोष हेतु राजस्थान काश्तकारी अधि. में माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदत्त नहीं की |

लगातार —

सहायक कलक्टर
12/3/25
भीलवाड़ा

कारण सं. 2022/07 कन्हैया उनवान अनोपी वगै.

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 12/5/25 | गई है। अतः वादी का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने अथवा माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार में नहीं होने से ~~[illegible]~~ आदेश 7 नियम 11 जा.दीवानी के बिन्दु संख्या 'D' (घ) से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है। | |
| | प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा की गई एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। प्रार्थी / तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग आने एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग लिये जाने में बाधा उत्पन्न करने का वादपत्र में अंकन किया गया है तथा वादकारण अंकित किया गया है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'A' में स्पष्ट प्रावधान होने से तथा उक्त धारा में क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः | |
| | **<u>आदेश</u>** | |
| | वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु संख्या 'D' (घ) से बाधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय स्वरे इजलास सुनाया गया। | |
| | डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। | |
| | (हस्ताक्षर) 12/5/25<br>**सहायक कलक्टर**<br>**भीलवाड़ा** | |

मूल वाद में डिकी

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. कन्हैयालाल पिता नाथू जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. फेफी देवी पत्नी मांगुजी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बालु लाल पिता भूरा जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. माया पुत्री मांगुजी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. सोहन पिता नाथू जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. चान्दी पत्नी लेहरू जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. भोजराज पिता लेहरू जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. अनोपी पत्नी जयराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मदन पिता जयराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रतनी देवी पुत्री जयराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. लक्ष्मण पिता जयराम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

## वाद बाबत विभाजन, अधिकार घोषणा व अधिकार अभिलेख व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 38/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन अनुपस्थित– इस वाद में आज तारीख 12.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु संख्या D (घ) से बाधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

12/5/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाडा